रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1999/भाद्र 8, 1921
No. 429] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1999/BHADRA 8, 1921

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1999

**सा०का०नि० 611(अ).**— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1999 है ।

(2) ये 24 मई, 1994 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम, वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम 19 में, उपनियम (3) के परन्तुक के खंड (घ) में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "उक्त अधिनियम के अधीन विहित अधिकतम सीमा" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा०सं० 2 (6)-बी III/94]

सी.एस. राव, संयुक्त सचिव

## स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने तारीख 24 मई, 1994 और 23 जून, 1998 की दो पृथक -पृथक अधिसूचनाओं द्वारा उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का संशोधन करके उक्त अधिनियम के अधीन उपदान के संदाय की अधिकतम सीमा क्रमशः 1 लाख रुपए और 3.5 लाख रूपए तक बढ़ाई है । उक्त संशोधन क्रमशः 24 मई, 1994 और 24 सितम्बर, 1997 से प्रवृत्त हो चुके हैं । अतः निगम के कर्मचारियों को संशोधनों का फायदा देने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के सुसंगत उपबंधों में संशोधन कर दिया गया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण भारतीय जीवन बीमा निगम के किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

पाद टिप्पण :

मूल नियम सा0का0नि0 सं0 357(अ) , तारीख 11-4-1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् सा0का0नि0 सं0 18(अ) , तारीख 7-1-1986, सा0का0नि0 सं0 1076(अ), तारीख 11-9-1986, सा0का0नि0 सं0 961(अ) , तारीख 7-12-1987, सा0का0नि0 सं0 870(अ) और 873(अ) ,दोनों तारीख 22-8-1988, सा0का0नि0 सं0 515(अ) , तारीख 12-5-1989, सा0का0नि0 सं0 509(अ) , तारीख 24-5-1990, सा0 का0नि0 सं0 620(अ) तारीख 6.7.1990, सा0का0नि0 सं0 628 (अ) तारीख 10.7.1990, सा0का0नि0 सं0 338 (अ) तारीख 11.7.1991, सा0का0नि0 सं0 697अ) तारीख 25.11.1991, सा0का0नि0 सं0 46(अ) दोनों तारीख 4.2.1993, सा0का0नि0 सं0 746(अ) तारीख 13.12.1993, सा0का0नि0 सं0 55(अ) तारीख 2.3.1994, सा0का0नि0 सं0 102(अ) तारीख 22.2.1996, सा0का0नि0 सं0 261 तारीख 22.5.1998 और सा0का0नि0 सं0 532(अ) तारीख 27.81998 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

**(INSURANCE DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th August, 1999

G.S.R. 611 (E).— In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following

rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely :-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 24th May, 1994.

2. In rule 19 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, in the proviso to sub-rule(3), in clause(d), for the words "fifty thousand rupees", the words "the maximum prescribed under the said Act" shall be substituted.

[F. No. 2 (6)-Ins. III/94]
C S. RAO, Jt. Secy.

## EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has by two separate notifications dated 24th May, 1994 and 23rd June, 1998 amended the payment of Gratruity Act, 1972 increasing the ceiling on the Gratuity payable under the said Act to Rs.1 lac and Rs.3.5 lacs respectively. The said amendments have come into force from 24th May, 1994 and 24th September, 1997 respectively. The relevant provisions of Life Insurance Corporation of India, Class III and Class IV (Revision

of Terms and Conditions of Service) Rules 1985 have been amended in order to extend the benefit of the above amendments to the employees of the Corporation.

It is certified that no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the Notification being given retrospective effect.

FOOT NOTE :

The principal rules were published vide G.S.R No.357(E) dated 11.4.1985 and subsequently amended vide G.S.R. No.18(E) dated 7.1.1986, G.S.R. No.1076(E) dated 11.9.1986, G.S.R. No. 961(E) dated 7.12.1987, G.S.R. No.870(E) and 873(E) both dated 22.8.1988, G.S.R. No. 515(E) dated 12.5.1989, G.S.R.No.509(E) dated 24.5.1990, G.S.R. No.620(E) dated 6.7.1990, G.S.R. No. 628(E) dated 10.7.1990, G.S.R. No.338(E) dated 11.7.1991, G.S.R. No.697(E) dated 25.11.1991, G.S.R.No.46(E) and 47(E) both dated 4.2.1993, G.S.R.No.746(E) dated 13.12.1993, G.S.R.No.55(E) dated 2.3.1994, G.S.R.No. 102(E) dated 22.2.1996, G.S.R.No.261 dated 22.5.1998 and G.S.R.No.532(E) dated 27.8.1998.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054